छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील क्रमांक 487/2006

कु0 द्रोपती जेसवानी,
द्वारा–श्री नंदलाल जेसवानी,
120, चकरभाठा कैम्प,
पोस्ट–चकरभाठा कैम्प,
जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 04 जनवरी 2007)

कु0 द्रोपती जेसवानी, निवासी–चकरभाठा, बिलासपुर के द्वारा लोक सेवा आयोग के अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14 जुलाई 2006 के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील आयोग को प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 03–05–2006 में उल्लेख किया है कि वह वर्ष 2003 की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी थी। वह राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2003 में दी गई परीक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतिलिपियां चाहती है। जन सूचना अधिकारी, लोक सेवा आयोग के द्वारा पत्र दिनांक 16–05–2006 के द्वारा सूचित किया गया कि प्रतियोगी परीक्षा की प्रक्रिया गोपनीय होती है। मूल्यांकनकर्ता द्वारा विषय–विशेषज्ञ के दृष्टिकोण से अभ्यर्थियों को अंक दिए जाते हैं इसलिए उत्तरपुस्तिकाओं के अवलोकन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके विरूद्ध आवेदक ने प्रथम अपीलीय अधिकारी सचिव, लोक सेवा आयोग को अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जिसके कि विरूद्ध उसने आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि उत्तरपुस्तिकाओं की सत्यापित प्रति देने से परीक्षा की गोपनीयता भंग होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(1)(जे) एवं धारा–8(1)(इ) के अंतर्गत विशाल लोकहित में उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतिलिपि दिया जाना उचित नहीं है।

4/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता बनाये रखना आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया गोपनीय गतिविधि होती है। यदि उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतिलिपि दी जावेगी, तो मूल्यांकनकर्ता की पहचान हो सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(1)(इ) के अंतर्गत ऐसी सूचना जो कि पारस्परिक विश्वसनीयता से संबंधित है तथा जिसके प्रकटन से विशाल लोकहित में प्रकटन किया जाना आवश्यक नहीं है, ऐसी सूचना दिये जाने से विमुक्त किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(1)(जे) के अंतर्गत ऐसी सूचना जो कि किसी सार्वजनिक गतिविधि एवं सार्वजनिक हित से संबंधित नहीं है तथा जिसके दिये जाने से व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा तथा जिसका प्रकटन विशाल लोकहित में नहीं है को दिये जाने से विमुक्ति प्रदान की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकनकर्ता की गोपनीयता बनी रहे, अतः उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतिलिपि दिया जाना लोकहित में आवश्यक नहीं माना जाता। अतः जन सूचना अधिकारी के द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतिलिपि दिये जाने को अस्वीकार किया गया है वह उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

5/ अपीलार्थी ने अपने मूल आवेदन–पत्र में केवल उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतिलिपि की मांग की थी, किन्तु अपील में उसके द्वारा स्कील्ड एवं अनस्कील्ड अंकों की जानकारी एवं मार्कशीट की मांग की गई। अपीलार्थी ने बताया कि उसे अंकसूची बाद में मिल गई है। यदि अपीलार्थी कोई और अन्य जानकारी चाहती हैं, तो वह पृथक से आवेदन प्रस्तुत कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सकती है।

6/ अतः उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के उपरांत अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त